हमारे बारे में

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली देश की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था है। बैंक का परिचालन संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत 1982 में शुरू हुआ। बैंक, निर्यातों और आयातों का वित्तपोषण करने वाली संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश के संवर्धन, वित्तपोषण और सुगमीकरण के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के एकीकरण को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बैंक ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आज कई भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनने और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में योगदान दिया है। साथ ही बैंक निर्यात–उन्मुख कंपनियों को उत्पादन उपकरण या प्रौद्योगिकी की खरीद सहित उत्पादन इकाइयां स्थापित करने/उनके विस्तार/आधुनिकीकरण/मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के लिए मीयादी ऋणों के जरिए सहायता प्रदान करता है।

बैंक, वैश्विक भागीदारियों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की नीतियों और रणनीतियों के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है; और विदेशी इकाइयों, विदेशी सरकारों, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों को ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करने पर विशेष बल देता है। भारत से निर्यातों को सहयोग देने के लिए बैंक, क्रेता ऋण और आपूर्तिकर्ता ऋण प्रदान करता है। भारत से मध्यम और दीर्घावधि निर्यातों को सहयोग प्रदान करने के लिए बैंक का एक अलग कार्यक्रम है – राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण।

इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा हाल ही में उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी) की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की ऐसी भारतीय कंपनियों को सहायता देना है, जो घरेलू स्तर पर तो सफल हैं, लेकिन निर्यात के क्षेत्र में उतनी प्रभावी नहीं हैं। उभरते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ऐसी भारतीय कंपनियों को चिह्नित कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, जो तकनीकी, उत्पाद अथवा प्रोसेस के लिहाज से बेहतर स्थिति में हैं।

बैंक निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है और भारत सरकार के साथ अपनी शोध संबंधी सामग्री साझा करता है। कई विदेशी सरकारों ने संस्थागत विकास और क्षमता विकास के लिए बैंक से परामर्शी सेवाएं ली हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ग्रामीण उद्यमों को भी वित्त एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बना पाएं।

भारतीय निर्यात–आयात बैंक

केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड, मुंबई – 400 005.

फोन: (91 22) 22172600, **फैक्स:** (91 22) 22182572, **ई–मेल:** ccg@eximbankindia.in

वेबसाइट: www.eximbankindia.in, www.eximmitra.in

हमें फॉलो करें:

हमारी वैश्विक मौजूदगी

प्रधान कार्यालय

केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड, मुंबई 400 005.
फोन: (91 22) 22172600, **फैक्स:** (91 22) 22182572
ई-मेल: ccg@eximbankindia.in, **वेबसाइट:** www.eximbankindia.in, www.eximmitra.in

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
फोन: (91 79) 26576852/26576843,
फैक्स: (91 79) 26577696
ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

बेंगलूरु
फोन: (91 80) 25585755/25589101-04,
फैक्स: (91 80) 25589107
ई-मेल: eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़
फोन: (91 172) 4629171/73,
फैक्स: (91 172) 4629175
ई-मेल: eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै
फोन: (91 44) 28522830/31, **फैक्स:** (91 44) 28522832
ई-मेल: eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी
फोन: (91 361) 2237607/609, **फैक्स:** (91 361) 2237701
ई-मेल: eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद
फोन: (91 40) 23307816-21, **फैक्स:** (91 40) 23317843
ई-मेल: eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता
फोन: (91 33) 68261301/20, **फैक्स:** (91 33) 68261302
ई-मेल: eximkro@eximbankindia.in

मुंबई
फोन: (91 22) 22861300,
फैक्स: (91 22) 22182572
ई-मेल: eximmro@eximbankindia.in

नई दिल्ली
फोन: (91 11) 61242600/24607700,
फैक्स: (91 11) 20815029
ई-मेल: eximndo@eximbankindia.in

पुणे
फोन: (91 20) 25648856, **फैक्स:** (91 20) 25648846
ई-मेल: eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

लंदन शाखा
फोन: (44) 20 77969040,
फैक्स: (44) 20 76000936
ई-मेल: eximlondon@eximbankindia.in

आबिदजान
फोन: (225-20) 24 29 51,
फैक्स: (225-2720) 24 29 50
ई-मेल: eximabidjan@eximbankindia.in

अदिस अबाबा
फोन: (251 118) 222296,
फैक्स: (251 116) 610170
ई-मेल: aaro@eximbankindia.in

ढाका
फोन: (880) 255042444
ई-मेल: eximdhaka@eximbankindia.in

दुबई
फोन: (971 4) 3637462,
फैक्स: (971 4) 3637461
ई-मेल: eximdubai@eximbankindia.in

जोहांस्बर्ग
फोन: (27 11) 3265103/13,
फैक्स: (27 11) 7844511
ई-मेल: eximjro@eximbankindia.in

सिंगापुर
फोन: (65) 65326464,
फैक्स: (65) 65352131
ई-मेल: eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंगटन डी. सी.
फोन: (1 202) 223 3238,
फैक्स: (1 202) 785 8487
ई-मेल: eximwashington@eximbankindia.in

यांगून
फोन: (95) 9423694109/ 9750139774
ई-मेल: eximyangon@eximbankindia.in

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण

भारतीय निर्यात–आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी–एनईआईए) नामक कार्यक्रम के शुभारंभ से भारतीय परियोजना निर्यातों को सहायता प्रदान करने के बैंक के इन प्रयासों को बल मिला है। यह एक विशिष्ट कार्यक्रम है जो निर्यातकों को दायित्व रहित वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करता है। साथ ही यह कार्यक्रम लंबी अवधि के आस्थगित ऋणों की आवश्यकता वाले विकासशील देशों को पारंपरिक तथा नए बाजारों तक पहुंचने का एक प्रभावी माध्यम भी प्रदान करता है।

प्रक्रिया

इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा बीसी–एनईआईए सुविधा विदेशी सरकारों और उनके द्वारा नामित सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं (पैरास्टैटल एजेंसियों) को विदेशी सरकारों की संप्रभु गारंटी के जरिए प्रदान की जाती है। एनईआईए, ईसीजीसी के जरिए ऋण सुविधा (मूल एवं ब्याज) के लिए बैंक को 150% तक का बीमा कवर प्रदान करता है और इसमें पूर्ण चुकौती होने तक विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन को भी कवर किया जाता है, क्योंकि यह जोखिम भारतीय रुपये में कवर किया जाता है।

वर्तमान में, ईसीजीसी द्वारा 91 देशों की एक सूची तैयार की गई है, जिनके लिए बीसी–एनईआईए ऋण लिया जा सकता है। अन्य देशों के लिए ऋण आवेदन प्राप्त होने पर इस सूची को विस्तारित/परिवर्धित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र विदेशी उधारकर्ताओं द्वारा देय ब्याज दर ऋण अवधि पर आधारित (टेनर लिंक्ड) होती है। इसकी संपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट ***www.eximbankindia.in/Hindi/buyers-credit*** पर भी उपलब्ध है।

परियोजना की पात्रता

बीसी–एनईआईए कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की जाने वाली परियोजना की पात्रता अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित पर निर्भर होती है:

- देशगत जोखिम का आकलन
- भारतीय परियोजना निर्यातक एवं विदेशी उधारकर्ताओं का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी सुदृढ़ वित्तीय स्थिति; तथा
- भारतीय रिज़र्व बैंक के परियोजना एवं सेवा निर्यातों संबंधी ज्ञापन में दिए गए निर्देशों का अनुपालन

इच्छुक भारतीय परियोजना निर्यातक कंपनियां रुचि पत्र/सिद्धांततः प्रतिबद्धता संबंधी पत्र के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक के बीसी–एनईआईए समूह से संपर्क कर सकती हैं। यह पत्र केवल बिड प्रस्तुत करने हेतु रुचि प्रकटन के लिए होता है तथा इसे ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं माना जाना चाहिए। इसके लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक किसी भी प्रकार से कानूनन बाध्य नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद तथा बैंक द्वारा पूरी तरह से जांच–पड़ताल कर लेने के बाद ही मंजूरी पत्र प्रदान किया जा सकता है।

प्रक्रिया का विवरण

1. भारतीय परियोजना निर्यातक (आईपीई) अनंतिम टर्म शीट के लिए एक्ज़िम बैंक से संपर्क करता है:
   - एक्ज़िम बैंक इसकी प्रारंभिक जांच करता है।
   - अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले आईपीई को सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जाता है।

2. आईपीई एवं विदेशी क्रेता के बीच कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन किया जाता है।
3. इंडिया एक्ज़िम बैंक विस्तृत ऋण मूल्यांकन करता है तथा आवश्यक आंतरिक अनुमोदन लेता है।
4. बैंक, ईसीजीसी के जरिए अपनी अनुशंसाओं/टिप्पणियों के साथ निर्देशक समिति को प्रस्ताव भेजता है।
5. निर्देशक समिति एनईआईए व्यापक जोखिम कवर के लिए प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ईसीजीसी द्वारा इंडिया एक्ज़िम बैंक को मंजूरी दी जाती है।
6. इंडिया एक्ज़िम बैंक लेनदार/आईपीई को बीसी–एनईआईए सुविधा की मंजूरी से अवगत कराता है और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया शुरू करता है।
7. एनईआईए ट्रस्ट व्यापक जोखिम कवर जारी करता है।
8. परियोजना निष्पादन शुरू हो जाता है।
9. परियोजना निष्पादन के दौरान, इस सुविधा के अंतर्गत लेनदार को संवितरण के जरिए भारतीय परियोजना निर्यातकों को भुगतान किया जाता है। निर्धारित राशि का संवितरण साख पत्र (एलसी) में उधारकर्ता द्वारा निर्देशित अनुसार दस्तावेज मिलने और भुगतान को प्राधिकृत करने के बाद किया जाता है।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमें **bcneia@eximbankindia.in** पर संपर्क करें।

कॉर्पोरेट बैंकिंग

इंडिया एक्ज़िम बैंक भारतीय कंपनियों को अन्य के साथ-साथ निर्यात क्षमता सृजन, निर्यात सुगमीकरण और विदेशी निवेश के लिए कई तरह के वित्तपोषण कार्यक्रम प्रदान करता है।

विदेशी निवेश वित्तः

इंडिया एक्ज़िम बैंक संयुक्त उद्यम (जेवी)/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों (डब्ल्यूओएस) के रूप में विदेशों में भारतीय निवेशों का वित्तपोषण करता रहा है। बैंक, भारतीय प्रवर्तक कंपनियों के इक्विटी में निवेश के लिए विदेशी संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों के अधिमानी (प्रेफरेंशल) शेयरों में निवेश के लिए भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा में मीयादी ऋण सुविधा प्रदान करता है। बैंक, विदेशी संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को (i) आस्तियों के अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय, (ii) कार्यशील पूंजी, (iii) किसी अन्य कंपनी में इक्विटी निवेश, (iv) ब्रांड/एकत्व अधिकार (पेटेन्ट)/अधिकार/बौद्धिक संपदा अधिकार और (v) किसी कंपनी के अधिग्रहण के आंशिक वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋण प्रदान करता है।

इसके अलावा, बैंक विदेशी संयुक्त उपक्रमों/पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियों को साख पत्र (एलसी) और गारंटी सहित गैर-निधि आधारित विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। ऐसी गारंटी (i) स्थानीय मुद्रा में मीयादी ऋण/कार्यशील पूंजी जुटाने (ii) शेयरों, उपकरणों, कच्चे माल के अधिग्रहण के लिए आस्थगित भुगतान (iii) आपूर्ति कॉन्ट्रैक्टों के तहत निष्पादन के लिए प्रदान की जाती है। एक्ज़िम बैंक की निधिक/गैर-निधिक सहायता सामान्य तौर पर भारतीय प्रवर्तक कंपनी के रिकोर्स पर आधारित होती है।

भारतीय उधारकर्ताओं को एक्ज़िम बैंक का वित्तपोषण भारतीय रुपये तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी मुद्रा में उपलब्ध है। उचित ऋण स्थगन (मोरेटोरियम) अवधि के साथ चुकौती की अवधि सामान्यतया 5-7 वर्षों की तथा मासिक/त्रैमासिक किस्तों में होती है, जिसे नकदी प्रवाह के विश्लेषण के आधार पर प्रत्येक ट्रांजैक्शन की जरूरत के अनुसार संरचित किया जा सकता है। प्रवर्तक को न्यूनतम 20% मार्जिन देना होता है। प्रतिभूति (सिक्योरिटी) में अन्य के साथ-साथ एक्ज़िम बैंक के पक्ष में विदेशी संस्था की आस्तियों पर समुचित चार्ज, भारतीय प्रवर्तक की कॉर्पोरेट गारंटी, राजनीतिक और/अथवा वाणिज्यिक जोखिम कवर, विदेशी उपक्रम में भारतीय प्रवर्तक द्वारा धारित शेयरों की गिरवी इत्यादि शामिल हैं।

निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए ऋण सुविधाएं

इंडिया एक्ज़िम बैंक निर्यात उन्मुख भारतीय कंपनियों को उनकी निर्यात क्षमताओं में सुधार लाने और उनकी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के रूप में दीर्घावधि ऋण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत कंपनियों को उपकरण, प्रौद्योगिकी आदि की खरीद सहित परियोजना के विस्तार, नवीकरण, उन्नयन अथवा विशाखन के लिए निधिक तथा गैर-निधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए शोध एवं विकास वित्त:

बैंक भारतीय निर्यातकों को अपनी निर्यात क्षमताएं बढ़ाने के लिए शोध एवं विकास (आर एंड डी) में और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि नए उत्पाद/प्रक्रियाएं/बौद्धिक संपदा अधिकार विकसित किए जा सकें। आर एंड डी के लिए भारतीय निर्यातकों की फंडिंग की कमी को पूरा करने की जरूरत को देखते हुए बैंक ने अलग से शोध और विकास वित्त कार्यक्रम तैयार किया है। इसके अंतर्गत पात्र भारतीय कंपनियों द्वारा प्रवर्तित किसी भी उद्योग/क्षेत्र व किसी भी स्वरूप की निर्यातोन्मुख कंपनी अथवा शोध प्रतिष्ठानों/संस्थानों/पात्र कंपनियों द्वारा प्रवर्तित एसपीवी को आर एंड डी के लिए ऋण प्रदान किया जा सकता है। इस ऋण में पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय दोनों शामिल होते हैं।

निर्यात सुगमीकरण के लिए ऋण कार्यक्रम:

इस कार्यक्रम के तहत, एकीकृत विकास के लिए वित्तपोषण किया जाता है। इसमें छोटे बंदरगाहों का विकास, जेटी, टर्मिनलों और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जैसे बुनियादी ढांचागत विकास शामिल हैं। यह वित्तीय सहायता, कंपनियों को सीधे ऋण प्रदान कर या वाणिज्यिक बैंकों/एनबीएफसी के जरिए पुनर्वित्त के रूप में प्रदान की जा सकती है।

सृजनात्मक अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण के लिए ऋण कार्यक्रम:

सृजनात्मक उद्योग वे होते हैं, जिनके मूल में वैयक्तिक सृजनात्मकता, कौशल और प्रतिभा होती है और जो बौद्धिक संपदा के सृजन तथा दोहन द्वारा धन और रोजगार पैदा करने में समर्थ होते हैं। इनमें विज्ञापन, स्थापत्य कला एवं प्राचीन वस्तुओं का बाजार, शिल्प, डिजाइन, फैशन, फिल्म तथा वीडियो, इंटरएक्टिव लेजर सॉफ्टवेयर, संगीत, प्रदर्शन कलाएं, प्रकाशन, सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सेवाएं, टीवी और रेडियो आदि आते हैं। सृजनात्मक उद्योगों की निर्यात उन्मुखता तथा इसकी व्यापक संभावना को देखते हुए एक्ज़िम बैंक ने इस क्षेत्र को विशेष रूप से वित्तपोषण प्रदान करने हेतु यह कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि इस क्षेत्र पर रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा सके और सृजनात्मक अर्थव्यवस्था के एमएसएमई खंड में एक्ज़िम बैंक की मौजूदगी को बढ़ाया जा सके।

अन्य प्रमुख कार्यक्रम:

इसके अलावा, एक्ज़िम बैंक निर्यातकों की खास वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भी विभिन्न वित्तपोषण सुविधाएं प्रदान करता है। इनमें निर्यात मार्केटिंग, निर्यात उत्पाद विकास, वेंडर विकास, तथा हेरिटेज पर्यटन के लिए वित्तपोषण कार्यक्रम शामिल हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए **cbg@eximbankindia.in** पर संपर्क करें।

एक्ज़िम मित्र

इंडिया एक्ज़िम बैंक भारत से निर्यातों को बढ़ाने तथा देश के विदेशी व्यापार और निवेश को अपने सामाजिक–आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक स्तर पर लाने का प्रयास करता है। इन उद्यमों की जरूरतों के अनुसार विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है।

'एक्ज़िम मित्र' ***(www.eximmitra.in/hi/)*** बैंक का ही ऑनलाइन प्लैटफॉर्म है। 'एक्ज़िम मित्र' यानी 'निर्यातकों और आयातकों का दोस्त'। छोटे निर्यातकों की जरूरतों से जुड़ी हर सामग्री इस पोर्टल पर एक ही जगह उपलब्ध है। 'एक्ज़िम मित्र' विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने का एक प्रयास है। यहां सलाहकारी एवं सहायक सेवाएं उपलब्ध हैं, जो इस क्षेत्र में संभावनाएं बताने के साथ–साथ मौजूदा निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय जोखिमों के मूल्यांकन, निर्यात से जुड़े अवसरों की जानकारी प्रदान करने और स्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करती हैं।

एक्ज़िम मित्र निर्यातकों और आयातकों तक ऋण एवं बीमा की पहुंच को सुगम बनाता है। साथ ही निर्यात और आयात के इच्छुक व्यक्तियों को उनकी पात्रता और खास जरूरतों के आधार पर फंडिंग अवसरों की जानकारी देने के लिए एक ऑनलाइन फॉर्मेट भी उपलब्ध कराता है।

एक्ज़िम मित्र व्यापार की जानकारी, बाजार विश्लेषण और शोध के जरिए उद्यम एवं क्षेत्रगत स्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए बैंक के विदेश में स्थित संस्थागत पार्टनरों की विशेषज्ञता का लाभ भारतीय निर्यातकों तक पहुंचाता है।

एक्ज़िम मित्र ग्रासरूट उद्यमों और एमएसएमई क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में संभावित अवसरों को तलाशने के लिए प्रोत्साहित कर इनकी स्पर्धात्मकता बढ़ाने का प्रयास करता है। साथ ही भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वैश्वीकरण में भी मददगार है।

एक्ज़िम मित्र निर्यातकों तक सटीक और विश्वसनीय जानकारियां पहुंचाने के लिए भारत सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इनमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय और भारत की व्यापार संवर्धन परिषदें शामिल हैं।

इस पोर्टल का उद्देश्य सस्ती दरों पर वित्तीय सेवाएं और सूचनाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन में योगदान देना भी है।

पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- वैश्विक बाज़ारों और उत्पादों की जानकारी देना
- अनुमानित माल भाड़ा और सीमा शुल्क की जानकारी देना
- निर्यातों में सहायक एजेंसियों की जानकारी देना
- वित्त एवं ऋण बीमा की जानकारी देना
- निर्यातकों के सवालों के लिए हेल्पलाइन
- अन्य वैल्यू एडेड सेवाएं

विस्तृत जानकारी के लिए हमसे **eximmitra@eximbankindia.in** पर संपर्क करें।

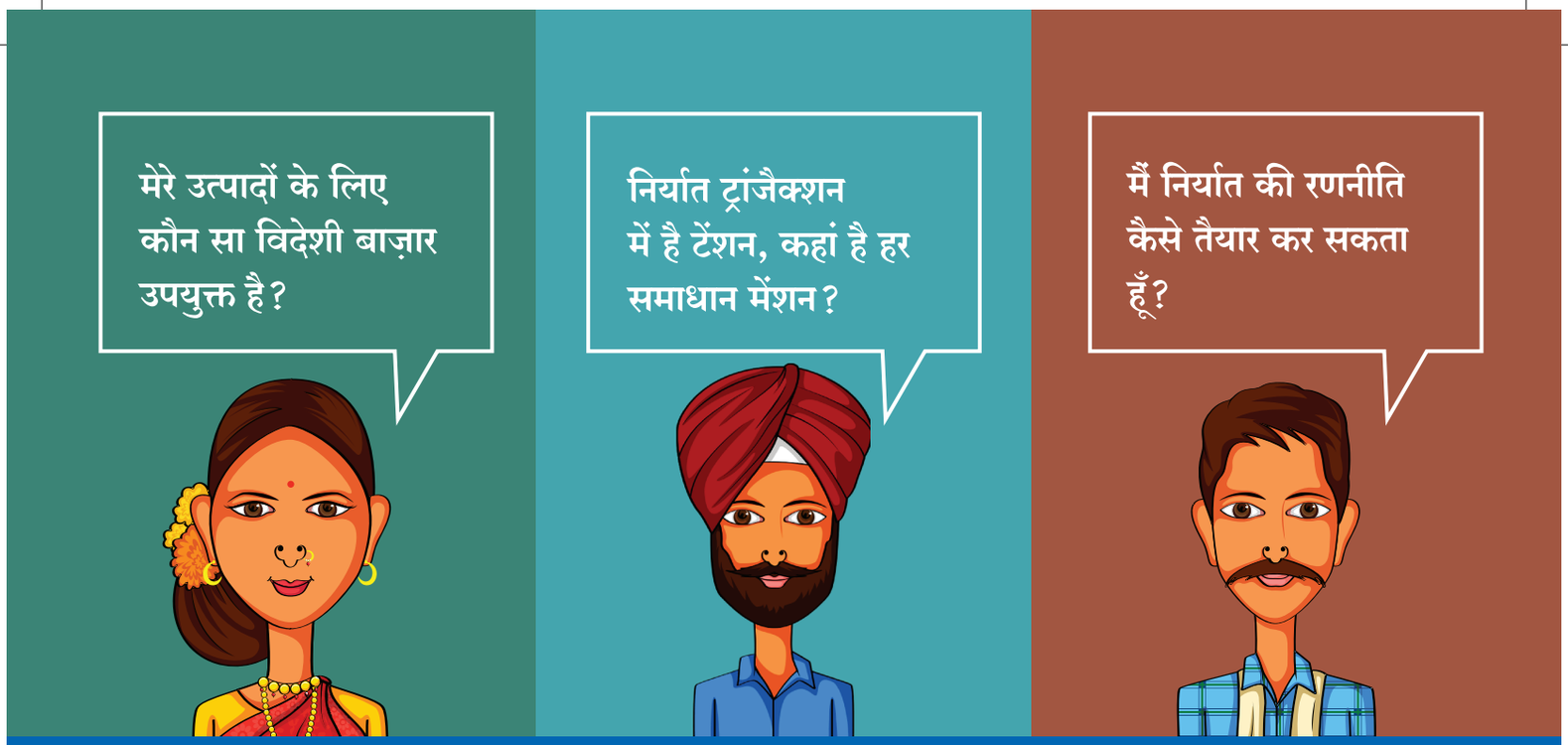

मेरे उत्पादों के लिए
कौन सा विदेशी बाज़ार
उपयुक्त है?
निर्यात ट्रांजैक्शन
में है टेंशन, कहां है हर
समाधान मेंशन?
मैं निर्यात की रणनीति
कैसे तैयार कर सकता
हूँ?
EM
निर्यात–आयात से
जुड़े आपके
सभी सवालों के जवाब
एक्ज़िम मित्र
Exim Mitra
भारतीय निर्यात–आयात बैंक की पहल
संपर्क करें: eximmitra.in

ग्रासरूट उद्यम विकास एवं मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं

इंडिया एक्ज़िम बैंक के ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसायटियों और सहकारी संस्थाओं जैसे सामाजिक उद्यमों के वैश्वीकरण प्रयासों को सहयोग करना है। साथ ही इसका उद्देश्य समाज के अपेक्षाकृत वंचित वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, देश के पारंपरिक शिल्पियों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए अवसरों का विस्तार करना है।

ग्रिड का उद्देश्य देश के उत्पादक समूहों/छोटे–छोटे उद्यमियों के उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाकर उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करना है। इसके लिए बैंक ग्रासरूट उद्यमियों/एमएसएमई इकाइयों को उत्पाद विकास और व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। साथ ही क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, निर्यात क्षमता सृजन, विस्तार/विशाखन तथा ग्राहक आधार बढ़ाने सहित निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करने का भी प्रयास करता है।

सलाहकारी सेवाएं

एक्ज़िम बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए भारतीय निर्यातक फर्मों में निर्यात क्षमताओं के सृजन एवं संवर्धन सहित उनके वैश्वीकरण प्रयासों में संवर्धक की भूमिका निभाता है और उनके उत्पादों तथा सेवाओं के लिए विदेशी वितरक/क्रेता/भागीदार तलाशने में उन्हें सहयोग प्रदान करता है।

बैंक सफलता शुल्क के आधार पर भारतीय कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं के मार्केटिंग प्रयासों में मदद करता है। बैंक की उच्च अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, सशक्त संस्थागत संबद्धताओं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जानकारी और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति की इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका है। बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के लिए निर्यातकों से भारतीय रुपये में सफलता शुल्क लेता है। यह शुल्क न्यूनतम तीन वर्षों तक बैंक की मदद से मिलने वाले हर ऑर्डर के लिए देना होता है।

पात्रता

गुणवत्तापूर्ण उत्पादों/सेवाओं का निर्यात करने की इच्छुक कोई भी भारतीय कंपनी/फर्म, बशर्ते कि वह भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति और अंतरराष्ट्रीय समझौतों की नकारात्मक सूची में शामिल न हो, इस सुविधा का लाभ उठा सकती है। मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं सभी क्षेत्रों में प्रदान की जाती हैं। इसके लिए कंपनी से निम्न सूचनाएं आवश्यक होती हैं:–

- कंपनी की विस्तृत प्रोफाइल
- उत्पाद ब्रोशर
- गुणवत्ता प्रमाणन
- आवश्यकतानुसार नमूने

बैंक भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी बाजार में उपयुक्त भागीदार तलाशने में मदद कर उन्हें भागीदारी या संयुक्त उपक्रम करार करने में भी सहयोग प्रदान करता है। बैंक ऑर्डर हासिल करने में सहयोग करने तथा भारतीय और विदेशी इकाइयों को मिलाने के अलावा भारतीय ईपीसी कॉन्ट्रैक्टरों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपरों को टेंडर सूचनाएं भी मुहैया कराता है।

क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम

बैंक अपने ग्रिड–मास कार्यक्रमों के जरिए हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों के दस्तकारों को कौशल विकास में मदद करता है। इसके लिए बैंक अनुदानों और अन्य सहायक सेवाओं के जरिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। ग्रिड–मास कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे ग्रासरूट उद्यमों की परिचालन दक्षता बढ़ाना, प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना, उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहन देना और डिजाइन/पैकेजिंग/ई–कॉमर्स विशेषज्ञता का अधिग्रहण करना और इसके जरिए उच्चतर वैल्यू एडिशन कर बाजारों तक इनके उत्पादों की पहुंच बढ़ाना भी है।

बैंक की मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं शिल्पकारों तथा कारीगरों को राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रदर्शनियों, शिल्प मेलों, हथकरघा बाजारों, रोडशो, क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों और व्यापार मेलों में हिस्सा लेने में भी सहयोग करती हैं। इससे कारीगरों को नए बाजारों तक पहुंचने, अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्रांड के रूप में स्थापित होने में मदद मिलती है।

विस्तृत जानकारी के लिए हमसे **grid@eximbankindia.in** पर संपर्क करें।

ऋण–व्यवस्थाएं

विकासशील देशों के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की योजना है 'भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता योजना' (आइडियाज)। इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यापार और ढांचागत विकास के जरिए विकासशील देशों के साथ भारत के विकास अनुभवों को साझा करना है। यह कार्य उन देशों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एक्ज़िम बैंक के जरिए रियायती ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान कर किया जाता है। भारत सरकार की ऋण–व्यवस्थाएं भारत सरकार की ओर से एक्ज़िम बैंक द्वारा निधिक, परिचालित और प्रशासित की जाती हैं।

ऋण–व्यवस्थाएं, एक्ज़िम बैंक का एक विशिष्ट कार्यक्रम है, जो भारतीय कंपनियों को जोखिम रहित वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराता है। इससे उन्हें नए बाजारों में पहुंचने और विदेशी बाजारों में निर्यात बढ़ाने में मदद मिलती है। ऋण–व्यवस्था कार्यक्रम की विदेशों में अलग पहचान है, क्योंकि इससे ऋण–व्यवस्था प्राप्तकर्ता देशों को भारत से मध्यम तथा दीर्घावधि आधार पर विकासात्मक तथा ढांचागत परियोजनाओं, उपकरणों और माल तथा सेवाओं तक अपनी पहुंच बनाने में मदद मिलती है।

इन ऋण–व्यवस्थाओं की ऋण अवधि सामान्यतः 15 से 25 वर्ष की होती है। ये ऋण–व्यवस्थाएं सामान्यतः रियायती ब्याज दरों पर प्रदान की जाती हैं। ऋण–व्यवस्थाओं के जरिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित मानक प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है:

- परियोजना को चिह्नित करना एवं इसके लिए तैयारी करना;
- समीक्षा तथा परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन;
- ऋण प्रस्ताव देना, स्वीकृति तथा ऋण करार का निष्पादन;
- पूर्व अर्हता, खरीद और टेंडरिंग
- परियोजना का कार्यान्वयन, निगरानी तथा जांच; एवं
- परियोजना पूरी होने के बाद उसके सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण।

एक्ज़िम बैंक निम्नलिखित को ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करता है:

- विदेशी सरकारों या उनकी नामित एजेंसियों जैसे सेंट्रल बैंक, सरकार के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों तथा पूर्णतः अथवा अंशतः सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं को;
- राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय विकास बैंकों को;
- विदेशी वित्तीय संस्थाओं को;
- विदेशी वाणिज्यिक बैंकों को;
- अन्य उपयुक्त विदेशी संस्थाओं को।

ऋण–व्यवस्था कार्यक्रम से खास तौर पर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया तथा सीआईएस क्षेत्र के उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमताओं को एक नई पहचान मिली है। 60 से ज्यादा देशों को प्रदत्त ऋण–व्यवस्थाएं विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को न केवल सशक्त बनाती हैं, बल्कि भावी निर्यातों के लिए अवसर भी प्रदान करती हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमें **loc@eximbankindia.in** पर लिखें।

परियोजना और पूंजीगत उपकरणों के निर्यातों के वित्तपोषण के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक का कार्यक्रम

परियोजना निर्यात भारत की तकनीकी दक्षता और औद्योगिक क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। परियोजना निर्यातों में निम्नलिखित शामिल हैं:

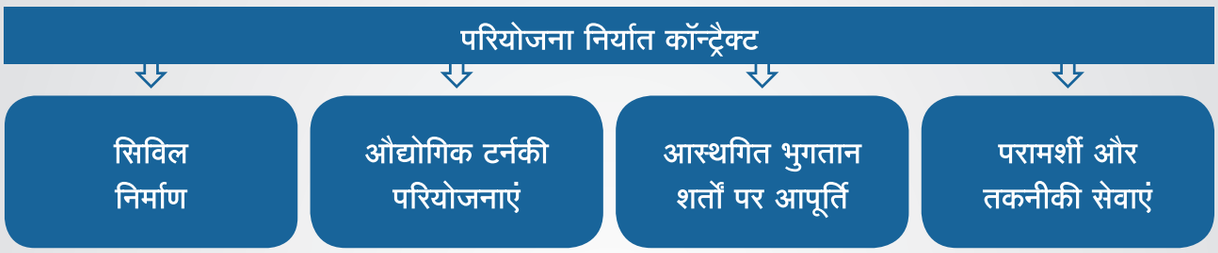

इंडिया एक्ज़िम बैंक भारत से परियोजना और पूंजीगत उपकरणों के निर्यातों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बैंक अपने ग्राहकों को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है:

- दुनिया के तकरीबन सभी देशों में तदनुरूपी संबंधों सहित संस्थागत सुदृढ़ संबद्धताएं।
- परियोजना निर्यातकों की आवश्यकताओं की बेहतर समझ और देशगत जानकारियां।

परियोजनाओं और पूंजीगत उपकरणों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक के विभिन्न वित्तपोषण कार्यक्रम हैं:

निधि आधारित:

- ⇨ क्रेता ऋण
- ⇨ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं
- ⇨ निर्यात परियोजना नकदी प्रवाह घाटा वित्त (ईपीसीडीएफ)
- ⇨ आपूर्तिकर्ता ऋण
- ⇨ पूंजीगत उपकरण वित्त कार्यक्रम (सीईएफपी)

गैर-निधि आधारित:

- ⇨ बैंक गारंटियां
- ⇨ साख पत्र (एलसी)
- ⇨ व्यापार वित्त सुगमीकरण कार्यक्रम
- ⇨ जोखिम प्रतिभागिता

उपरोक्त कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:

क्रेता ऋण

- भारत से वस्तुओं और सेवाओं के आयात को सुगम बनाने के लिए विदेशी खरीदारों को आस्थगित भुगतान शर्तों पर वित्त प्रदान किया जाता है।

ऋण-व्यवस्था

- विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को आस्थगित भुगतान शर्तों पर वित्त प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपने ग्राहकों को भारत से वस्तुएं और सेवाएं लेने के लिए ऋण दे सकें।

ईपीसीडीएफ

- कॉन्ट्रैक्ट के निष्पादन के दौरान निर्यातकों के सामने आने वाले अस्थायी नकदी प्रवाह घाटे के लिए वित्त प्रदान किया जाता है।
- मध्यम और दीर्घ अवधि की जरूरतें पूरी करने के लिए सुव्यवस्थित संवितरण और चुकौती शेड्यूल प्रदान किया जाता है।
- पात्रता: विदेशी कॉन्ट्रैक्ट अथवा डीम्ड निर्यात कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन करने वाली भारतीय कंपनियां।

आपूर्तिकर्ता ऋण

- यह विदेशी कॉन्ट्रैक्टों से आस्थगित प्राप्य राशियों की फंडिंग के लिए रीकोर्स फायनैंसिंग है।

सीईएफपी

- परियोजना निर्यातकों को अपने विभिन्न परियोजना निर्यात कॉन्ट्रैक्टों को पूरा करने के लिए पूँजीगत उपकरणों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

कॉन्ट्रैक्ट निष्पादन के लिए बैंक गारंटियां:

बिड बॉन्ड गारंटी:

- टेंडर में आवश्यकतानुसार परियोजना/कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिडिंग के लिए जारी की जाती है।

निष्पादन गारंटी

- परियोजना निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना मिलने संबंधी पत्र/अधिसूचना मिलने पर जारी की जाती है।

अग्रिम भुगतान गारंटी

- यह गारंटी कॉन्टैक्ट पर हस्ताक्षर के बाद परियोजना निष्पादन के दौरान जारी की जाती है। सामान्यतया, यह कार्य के निष्पादन की बिलिंग से अलग होती है।

संग्रहण अग्रिम (मोबिलाइजेशन एडवांस)/प्रोक्योरमेंट गारंटी

- कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत संसाधन जुटाने के लिए अग्रिम राशि जारी करने या कच्चे माल की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट निष्पादन अवधि के दौरान जारी की जाती है।

प्रतिधारण राशि गारंटी

- यह गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत प्रतिधारण राशि प्रदान करने के लिए जारी की जाती है।

विस्तृत जानकारी के लिए **peg@eximbankindia.in** पर संपर्क करें।

शोध एवं विश्लेषण समूह

शोध

अनुभवी अर्थशास्त्रियों और रणनीतिज्ञों से मिलकर बना है बैंक का शोध एवं विश्लेषण समूह। यह समूह अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार और निवेश से संबंधित विषयों पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव शोध के जरिए गहन विश्लेषण करता है। यह समूह वैश्विक आर्थिक रुझानों और विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ताजा घटनाक्रम पर नजर रखता है। इसके साथ ही इन देशों में भारत के लिए व्यापार और निवेश के अवसर भी चिह्नित करता है।

इस समूह द्वारा किए गए शोध कार्य मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार और निवेश, उद्योग–वार विश्लेषण, वैश्विक और क्षेत्रीय समस्याओं और नीतिगत अध्ययन जैसे विषयों पर होते हैं। इन्हें प्रासंगिक आलेखों, कार्यकारी आलेखों, विशेष प्रकाशनों और न्यूजलेटर आदि के रूप में प्रकाशित किया जाता है। ये शोध अध्ययन मुख्य रूप से भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने संबंधी अवसरों पर केंद्रित होते हैं।

यह समूह विभिन्न देशों/उद्योगों के प्रोफाइल तैयार करता है जिनमें आर्थिक, राजनीतिक, मुद्रा और ऋण जोखिम सहित बैंक के परिचालन के लिए देश/उद्योग में महत्त्वपूर्ण निर्यात अवसरों का आकलन शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये प्रोफाइल किसी देश के अल्प से मध्यम अवधि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं, ताकि उस देश/उद्योग के साथ व्यापार करने में शामिल आर्थिक जोखिमों से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त यह समूह, देशों की ऋण जोखिम स्थिति का भी विश्लेषण करता है, जिससे देश की ऋण बाध्यता का पता लगाने और ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है।

न्यूज़लेटर

शोध प्रकाशनों के अलावा यह समूह निम्नलिखित न्यूज़लेटर भी प्रकाशित करता है:

एक्ज़िमिअस: निर्यात लाभ – इस त्रैमासिक न्यूज़लेटर में व्यापार एवं निवेश अवसरों से संबंधित जानकारी होती है और इसमें भारतीय निर्यातों को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों का वर्णन होता है। इस न्यूज़लेटर में क्षेत्रीय और उद्योग परिदृश्य, बैंक की गतिविधियां, कारोबार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण चुनिंदा देशों और मुद्राओं की समीक्षा सहित तिमाही के प्रमुख घटनाक्रमों की जानकारी शामिल होती है।

कृषि निर्यात लाभ – यह कृषि व्यवसाय के लिए बैंक का एक बहुभाषी द्विमासिक न्यूज़लेटर है। इसमें वैश्विक कृषि–परिवेश, व्यवसाय और बाजारों के साथ–साथ भारतीय कृषि व्यवसाय के संबंध में कृषि कमोडिटियों, कृषि व्यवसाय के भावी क्षेत्रों, कृषि व्यापार और नीतियों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विनियामक विषयों, विश्व व्यापार संगठन, सरकारी योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों, अंतरराष्ट्रीय नवीनतम समाचार और भारत से कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने संबंधी बैंक की गतिविधियों की ताजा जानकारी दी जाती है।

सलाहकारी सेवाएं

एक विकासशील देश की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में बैंक के अनुभव उन देशों के लिए भी उपयोगी हैं, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए सहायक ढांचा स्थापित करने और अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। बैंक ने अपने शोध एवं विश्लेषण समूह के अंतर्गत बनाई गई सलाहकारी सेवाओं के जरिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना में सहयोग किया है। ये सेवाएं बैंक के स्टेकहोल्डरों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों तथा विदेशी संस्थाओं को प्रदान

की जाती हैं। इस प्रकार, बैंक अपने शोध कार्यों के जरिए क्षमता सृजन, संस्थागत मजबूती, निर्यात विकास, निर्यात क्षमता सृजन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी क्षमताएं बढ़ाने के लिए अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है।

भारत के तिमाही निर्यातों का पूर्वानुमान

बैंक की शोध पहलों को जारी रखते हुए, यह समूह भारत के वस्तु निर्यातों पर निगाह बनाए रखता है और हर तीन महीने में भारत के कुल वस्तु निर्यातों और गैर–तेल निर्यातों में वृद्धि के पूर्वानुमान जारी करता है। ये पूर्वानुमान भारत के एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) के लिए इन–हाउस मॉडल पर आधारित होते हैं। ईएलआई को देश की निर्यात संभावनाओं को आंकने और देश के वस्तु निर्यातों तथा गैर–तेल निर्यातों में वृद्धि के पूर्वानुमान के संकेतक के रूप में तिमाही आधार पर जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च तिमाही के लिए इन महीनों के पहले सप्ताह में जारी किया जाता है। पिछले अधिकतर पूर्वानुमान एकदम सटीक और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आसपास ही रहे हैं।

आर्थिक शोध पुरस्कार

अर्थशास्त्र में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक ने उत्कृष्ट डॉक्टोरल शोध कार्यों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार शुरू किए हैं:

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार (ईरा पुरस्कार) – भारतीय नागरिकों द्वारा भारत तथा विदेशी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबंधित वित्तपोषण में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। पुरस्कारस्वरूप 3.50 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार – यह पुरस्कार 2016 से शुरू किया गया। इसके अंतर्गत पांचों ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के नागरिकों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या वैश्विक शिक्षण संस्थान में लिखी गई डॉक्टोरल थीसिस प्रविष्टियों के रूप में स्वीकार की जाती हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्रों तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देना है। पुरस्कारस्वरूप 15 लाख रुपये (लगभग 20,000 यूएस डॉलर) और प्रशस्ति पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है।

विस्तृत जानकारी के लिए हमसे **rag@eximbankindia.in** पर संपर्क करें।

उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी)

पृष्ठभूमि

1. भारत के समग्र आर्थिक विकास के लिए उच्चतर आर्थिक गतिविधियों में निर्यातों को बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर जोर देने की जरूरत है। समय के साथ, वैल्यू चेन में कोई देश ऊपर की ओर जाता है तो उसके निर्यातों में प्रौद्योगिकी और विनिर्मित वस्तुओं का स्तर बढ़ने की भी उम्मीद की जाती है। किन्तु, भारत में विनिर्माण क्षेत्र पिछले एक दशक से एक ही स्तर पर बना हुआ है। देश के जीडीपी में इसका हिस्सा 15% के आसपास ही बना हुआ है। फिर, भारत के निर्यातों में कोई महत्त्वपूर्ण हाई–टेक्नोलॉजी वैल्यू–एडेड आइटम भी नहीं हैं। प्रौद्योगिकी से जुड़े निर्यात मुख्य रूप से मध्यम से निम्न टेक्नोलॉजी निर्यात खंड में ही हैं। भारत के निर्यात मुख्य रूप से उन उत्पादों तक ही सीमित हैं जिनका वैश्विक आयातों में एक छोटा–सा हिस्सा है। इसलिए भारतीय निर्यातक वैश्विक बाजार के प्रमुख हिस्से में अपनी मौजूदगी ही दर्ज नहीं करा पाते हैं।
2. भारतीय कंपनियों की क्षमताएं बढ़ाकर और उनमें अंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता विकसित कर भारत से निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है। खुले वैश्विक परिवेश में दीर्घकालिक स्पर्धात्मकता के लिए अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करने की जरूरत है। हालांकि इस राह में, समय पर पर्याप्त वित्त का न मिल पाना, टेक्नोलॉजी का सीमित प्रयोग और आधुनिकीकरण का अभाव, निम्न उत्पादन क्षमता और अप्रभावी मार्केटिंग रणनीति जैसी कठनाइयां हैं। एक्ज़िम बैंक ने ऐसी ही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारत के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय कंपनियों को सहयोग प्रदान करने के लिए एक नया कार्यक्रम विकसित किया है।
3. उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी) में ऐसी भारतीय कंपनियों को चिह्नित किया जाता है, जो फ्यूचर चैंपियन हैं और उनमें निर्यातों की अच्छी संभावनाएं हैं। ये ऐसी भारतीय कंपनियां होंगी, जो उन्नत तकनीक, उत्पाद या प्रोसेस के लिहाज से तो बेहतर स्थिति में हैं, पर फिलहाल अंडर–परफॉर्मिंग हैं और बड़ी कंपनी के रूप में उभरने के लिए अपनी क्षमताओं का दोहन नहीं कर पा रही हैं। यह कार्यक्रम ऐसी ही कंपनियों की बाधाओं का पता लगाकर उन्हें जरूरत के अनुसार इक्विटी, ऋण और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।

उद्देश्य

4. कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यः

   ए) वित्तीय सहायता सहित अन्य सहयोग के जरिए चुनिंदा क्षेत्रों में भारत की स्पर्धात्मकता बढ़ाना;

   बी) विशिष्ट तकनीक, उत्पादों या प्रोसेस वाली कंपनियों को उनका निर्यात व्यवसाय बढ़ाने के लिए चिह्नित करना;

   सी) निर्यातों की संभावनाओं वाली ऐसी इकाइयों को सहयोग करना, जो वित्त के अभाव में अपने परिचालन नहीं बढ़ा पा रही हैं;

   डी) सफल कंपनियों की निर्यातों में आने वाली चुनौतियों को चिह्नित करना और उन्हें दूर करना;

   ई) मौजूदा निर्यातकों को अपने निर्यात उत्पादों को बढ़ाने और रणनीतिक एवं स्ट्रक्चर्ड निर्यात बाजार विकास पहल के जरिए नए बाजारों में प्रवेश कराने में सहयोग करना।

पात्रता मानदंड

5. मुख्य पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

ए) प्रौद्योगिकी, उत्पादों और प्रोसेस के मामलों में वैश्विक मानकों के अनुरूप विशिष्टता रखने वाली कंपनियां;

बी) मूलभूत रूप से बेहतर वित्तीय स्थिति और निर्यात उन्मुखता वाली मजबूत कंपनियां;

सी) वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने योग्य लगभग 500 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाली छोटी और मझोले आकार की कंपनियां;

डी) बेहतर बिजनेस मॉडल, मजबूत प्रबंधन क्षमताओं और उत्पाद की गुणवत्ता पर फोकस करने वाली कंपनियां;

ई) चुनिंदा क्षेत्रः ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे, एयरोस्पेस, पूंजीगत वस्तुएं, रसायन, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी और आईटी आधारित सेवाएं, मशीनरी, फार्मासूटिकल्स, उन्नत इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स और संबंधित क्षेत्र।

किस प्रकार की होगी सहायता

6. बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता वित्तीय और परामर्शी दोनों प्रकार की होगीः

ए) इक्विटी/इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए सहायता

बी) ऋण (निधिक/गैर निधिक): चिह्नित उद्यमों को आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी/क्षमता उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) और उत्पादन इकाइयों की बैलेंसिंग के लिए निम्नलिखित गतिविधियों में निवेश के जरिए सहायता प्रदान की जा सकती हैः

- मशीनरी और उपकरण;
- टूल्स, जिग्स और फिक्सचर;
- टेस्टिंग/क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट;
- भूमि और भवन।

सी) तकनीकी सहायता (टीए) में उन्नयन और सुधार, प्रमाणीकरण लागत, प्रशिक्षण खर्च, उत्पाद/बाजार विकास के लिए विदेश यात्रा सहित बाजार विकास गतिविधियों, क्षेत्रों से संबंधित अध्ययनों, बाजारों, विनियमों, तकनीकी आर्थिक अर्थक्षमता (टीईवी) आदि के लिए आंशिक सहायता शामिल है।

प्रतिभूति (सिक्योरिटी)

7. कंपनी/परियोजना की अचल आस्तियों पर समुचित चार्ज तथा आईपीआर पर चार्ज/समनुदेशन (असाइनमेंट), व्यक्तिगत गारंटी आदि।

विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक कंपनियां कृपया **seed@eximbankindia.in** पर संपर्क कर सकती हैं।

व्यापार सहायता कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

व्यापार वित्त। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी। बल्कि कई मामलों में, खास तौर पर उभरते बाजारों में तो इतना जरूरी कि इसके बिना वस्तुओं को एक से दूसरे देश भेजना संभव नहीं हो पाता है। यह व्यापार के लिए न्यून–जोखिम वाली आस्ति (असेट) है। फिर भी आर्थिक विपत्तियों के समय यह प्रभावित होता है। महामारी के बाद बदले परिदृश्य में, वैश्विक व्यापार मांगों और बढ़ती जरूरतों के अनुरूप, एक सुदृढ़ वित्त कार्यक्रम की जरूरत महसूस की जाती रही है।

इसी पृष्ठभूमि में, इंडिया एक्ज़िम बैंक ने व्यापार को सुगम बनाने के क्रम में एक नई पहल की है। इस पहल का नाम है– 'व्यापार सहायता कार्यक्रम' (टैप)। नाम के अनुरूप, इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता व्यापार लिखतों (ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स) की ऋण सीमा बढ़ाने के रूप में होती है। इसके अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार ट्रांज़ैक्शन के सहयोग के लिए वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाता है। यह उन बाज़ारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जहां व्यापार के लिए ऋण मिलने में दिक्कत आती है या जहां क्षमताओं का दोहन नहीं किया गया है और इस प्रकार के सहयोग के अभाव में ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पाएंगे।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i) व्यापार ट्रांज़ैक्शनों को सुगम बनाने में काउंटर पार्टियों को अनुकूल परिवेश प्रदान करना;

ii) चिह्नित अदोहित बाजारों तक पहुंचते हुए वृद्धिशील निर्यातों को सहायता प्रदान करना;

iii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित निर्यातकों के लिए भौगोलिक कवरेज बढ़ाते हुए नए बाजारों में कदम रखने का माध्यम प्रदान करना;

iv) चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापार ट्रांज़ैक्शनों के लिए जोखिम कवरेज प्रदान करना;

v) लक्ष्य देशों में स्थानीय बैंकों को भारत में वाणिज्यिक बैंकों के साथ कार्यकारी संबंध स्थापित करने में सहयोग करना।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इंडिया एक्ज़िम बैंक, अपने अनुभवों और संबंधों के नेटवर्क का सदुपयोग करते हुए भारत में वाणिज्यिक बैंकों और चिह्नित विदेशी बैंकों के बीच भागीदारी का नेटवर्क तैयार कर रहा है, जो इंडिया एक्ज़िम बैंक से जोखिम न्यूनीकरण में सहयोग हासिल कर सकते हैं।

टैप के तहत हमारी पेशकश

टैप, उभरते बाजारों के बैंकों पर भुगतान के जोखिम को कवर करने के लिए भारत में भागीदार वाणिज्यिक बैंकों को आंशिक या पूर्ण गारंटियां प्रदान करता है। साथ ही, भारतीय बैंकों को उनकी गारंटियों की फ्रंटिंग के जरिए अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने में मदद करता है। इस प्रकार, भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों को विदेशी बाजार में परियोजना हासिल करने/लगाने के लिए प्रतिभागिता करने को प्रोत्साहित किया जाता है। ये क्रेडिट मैकेनिज्म ट्रांज़ैक्शन–विशिष्ट होते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i) आपाती साख पत्र (SBLC)

इंडिया एक्ज़िम बैंक, भारत में किसी बैंक (कंफर्मिंग बैंक) के पक्ष में आपाती साख पत्र (SBLC) जारी करता है। यह SBLC, भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी बैंकों (जारीकर्ता बैंक – इशूइंग बैंक) द्वारा जारी साख पत्र (LC) की पुष्टि करता है/निगोशिएट करता है। यदि विदेशी जारीकर्ता बैंक, कंफर्मिंग बैंक को बकाया राशि के भुगतान नहीं कर पाता है तो इंडिया एक्ज़िम बैंक इस SBLC के अंतर्गत कंफर्मिंग बैंक को भुगतान करने का वचन देता है।

ii) अविकल्पी प्रतिपूर्ति वचनपत्र (IRU)

इंडिया एक्ज़िम बैंक, विदेशी जारीकर्ता बैंक के अनुरोध पर भारत में वाणिज्यिक बैंक के पक्ष में IRU जारी करता है। यह IRU जारीकर्ता बैंक द्वारा जारी LC के अंतर्गत जारी किया जाता है। इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा जारी IRU के आश्वासन के अंतर्गत, भारतीय वाणिज्यिक बैंक निर्यात बिलों को निगोशिएट कर सकते हैं और निपटान के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक को प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

iii) गारंटियों की फ्रंटिंग

इसे खास तौर पर भारतीय कंपनियों के विदेशों में निष्पादन संबंधी दायित्वों को पूरा करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम बैंक, विदेशी बैंकों के पक्ष में काउंटर गारंटियां जारी करता है, ताकि वे भारत से वस्तुओं/सेवाओं के निर्यातों वाली परियोजनाओं को कवर करते हुए स्थानीय निकायों के पक्ष में गारंटी जारी कर सकें। इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा इस प्रकार की काउंटर गारंटियां, भारतीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ओर से इंडिया एक्ज़िम बैंक के पक्ष में जारी गारंटी के एवज में जारी की जाती है। गारंटियों की इस प्रकार की फ्रंटिंग, आयातक के बैंक के वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए भारतीय निर्यातक/बैंक के पक्ष में भी की जा सकती है।

iv) जोखिम प्रतिभागिता

यदि कोई बैंक/वित्तीय संस्था, आयातक के बैंक पर अपर्याप्त ऋण सीमा (एक्सपोज़र लिमिट) के चलते किसी व्यापार ट्रांज़ैक्शन को सहयोग करने के लिए आयातक के बैंक के साथ नहीं जुड़ पा रहा है, तो इंडिया एक्ज़िम बैंक चुनिंदा मामलों में कंफर्मिंग/निगोशिएटिंग बैंक के साथ मास्टर जोखिम प्रतिभागिता करार के अंतर्गत जोखिम शेयर करने पर विचार कर सकता है। टैप के अंतर्गत इस प्रकार की जोखिम प्रतिभागिता भारत से पात्र वस्तुओं/सेवाओं के निर्यातों को कवर करते पात्र ट्रांज़ैक्शनों के लिए की जाती है।

टैप के अंतर्गत देशों की सूची[1]

अफ्रीका			
1.	अल्जीरिया	15.	मोरक्को
2.	अंगोला	16.	मोज़ाम्बिक
3.	बोत्सवाना	17.	नामीबिया
4.	कैमरून	18.	नाइजीरिया
5.	कोत दि'वार	19.	रवांडा
6.	जिबूती	20.	सेनेगल
7.	मिस्र	21.	सिएरा लियोन
8.	इथियोपिया	22.	दक्षिण अफ्रीका
9.	गैबॉन	23.	तंज़ानिया
10.	घाना	24.	टोगो
11.	केन्या	25.	ट्यूनीशिया
12.	लेसोथो	26.	युगांडा
13.	मॉरिटानिया		
14.	मॉरीशस		

एशिया	
1.	बांग्लादेश
2.	भूटान
3.	कंबोडिया
4.	फिजी
5.	इंडोनेशिया
6.	लाओ पीडीआर
7.	मलेशिया
8.	मालदीव
9.	नेपाल
10.	फिलीपींस
11.	पीएनजी
12.	श्रीलंका
13.	थाईलैंड
14.	वियतनाम

लैटिन अमेरिका	
1.	अर्जेंटीना
2.	ब्राज़ील
3.	कोलंबिया
4.	डॉमिनिकन गणराज्य
5.	इक्वाडोर
6.	अल सल्वाडोर
7.	ग्वाटेमाला
8.	गयाना
9.	जमैका
10.	मेक्सिको
11.	पनामा
12.	पराग्वे
13.	पेरू
14.	सूरीनाम

[1]इस कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में शामिल किए गए देश

विस्तृत जानकारी के लिए हमें **tap@eximbankindia.in** पर लिखिए

इंडिया एक्ज़िम बैंक

फोनः +91-22-22172821/ +91-22-22172713 ● www.eximbankindia.in

फीडबैक फॉर्म:

प्रतिभागी का नाम: _____

पदनाम: _____

संस्था: _____

इस कार्यक्रम के बारे में आपको सूचना कैसे मिली:

- ☐ ट्रेड एसोसिएशन नेटवर्क से
- ☐ एक्ज़िम बैंक द्वारा आमंत्रण से
- ☐ एक्ज़िम बैंक की वेबसाइट से
- ☐ एक्ज़िम बैंक के सोशल मीडिया हैंडल से
- ☐ टीवी/अखबार में विज्ञापन के जरिए
- ☐ किसी अन्य माध्यम से (कृपया उल्लेख कीजिए)

आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा?

	बेहतरीन	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
सामग्री (कंटेंट)	☐	☐	☐	☐	☐
वक्ता	☐	☐	☐	☐	☐
समय प्रबंधन	☐	☐	☐	☐	☐
ऑडियो-विजुअल सेटअप	☐	☐	☐	☐	☐
संगोष्ठी की सामग्री	☐	☐	☐	☐	☐
भोजन और पेय पदार्थ	☐	☐	☐	☐	☐
संपूर्ण अनुभव	☐	☐	☐	☐	☐

कुछ खास बातें, जो सीखने को मिलीं _____

_____

_____

आपके सुझाव एवं टिप्पणियां: _____

_____

_____

क्या आप पहले भी एक्ज़िम बैंक के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? हां ☐ नहीं ☐

क्या आप भविष्य में निम्नलिखित में से कोई जानकारी पाना चाहते हैं?

- भविष्य में आपके शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम — हां ☐ नहीं ☐
- एक्ज़िम बैंक के न्यूज़लेटर और अपडेट के विषय में — हां ☐ नहीं ☐
- एक्ज़िम बैंक के सर्वेक्षणों के विषय में — हां ☐ नहीं ☐

यदि आप उपरोक्त में से कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो कृपया अपना संपर्क विवरण साझा कीजिएः

मोबाइल नं.: _____

ईमेल आईडीः _____

भारत से व्यापार तथा ऋण और बीमा तक निर्यातकों व आयातकों की पहुंच को सुगम बनाने और व्यापार संबंधी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से, एक्ज़िम बैंक ने 'एक्ज़िम मित्र' नाम का एक ऑनलाइन प्लैटफॉर्म शुरू किया है। क्या आप एक्ज़िम मित्र पोर्टल के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं?

☐ हां

☐ नहीं

यदि करना चाहते हैं, तो हमारे प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेंगे।

हमें फॉलो करें: